प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक** 14 **मार्च 2024**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा के मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2023-24/739, दिनॉक 21.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा हेतु विभिन्न मानक मदों में कुल रू0 450.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने पर विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक-2210-01-110-15 -02- सरोजनी नायडू चिकित्सालय सम्बद्ध चिकित्सालय, आगरा हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि **रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति (संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में नहीं की जायेगी।
4. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210011101502 सरोजनी नायडू चिकित्सालय संबद्ध चिकित्सालय आगरा **मानक मद** 39 औषधि तथा रसायन (*2*) रुपये 1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210011101502 सरोजनी नायडू चिकित्सालय संबद्ध चिकित्सालय आगरा **मानक मद** 43 सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक -17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Digitally Signed by अनिल कुमार सिंह
Date: 14-03-2024 13:17:06
Reason: Approved

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या व तद्यदिनांक-उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आगरा।
5. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2751371/2024/ -1

बी एम-9 (भाग- 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

A071-2023-24-71-1002-23-2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, आगरा हेतु विभिन्न मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210011101502 (सरोजनी नायडू चिकित्सालय संबद्ध चिकित्सालय आगरा)	09 (विद्युत देय)	5,00,00,000 रुपये पांच करोड़ मात्र	3,50,00,000 रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र	- 3,50,00,000 रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र	1,50,00,000	2023 - 2024
031	2210011101502 (सरोजनी नायडू चिकित्सालय संबद्ध चिकित्सालय आगरा)	10 (जलकर / जल प्रभार)	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	- 1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	1,00,00,000	2023 - 2024

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध विनियोग /	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210011101502 (सरोजनी नायडू चिकित्सालय संबद्ध चिकित्सालय आगरा)	39 (औषधि तथा रसायन)	18,00,00,000 रुपये अठारह करोड़ मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	18,50,00,000	2023-2024
031	2210011101502 (सरोजनी नायडू चिकित्सालय संबद्ध चिकित्सालय आगरा)	43 (सामग्री एवं सम्पूर्ति)	1,60,00,000 रुपये एक करोड़ साठ लाख मात्र	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	3,10,00,000	2023-2024

कृपया उपर्युक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासकीय विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आगरा के पत्र दिनांक 25.11.2023 द्वारा अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में वेतनादि मदों में उक्तानुसार प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 450.00 लाख की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कालेज में आक्सीजनरेटेड बेडों की संख्या में वृद्वि के दृष्टिगत आक्सीजन हेतु रू0 50.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि मानक मद-39-औषधि तथा रसायन में तथा महाविद्यालय में 976 बेड स्वीकृत है तथा ओ0पी0डी0 में प्रतिदिन लगभग 2000 से 2500 मरीज तथा 200 से 250 मरीज आकस्मिक विभाग में उपचार हेतु आते है, जिस हेतु आवश्यक सर्जिकल सामग्री एवं एक्स-रे आदि हेतु रू0 150.00 लाख इस प्रकार सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज एवं सम्बद्व चिकित्सालय, आगरा में उक्तानुसार विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से कुल रू0 200.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2751371/2024/ -1

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या: आर ई-बजट-1-504-2023-24, दिनांक 28 फरवरी, 2024

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।